न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0279/2021 — तारीख रजू:– 09.07.2021

पीठासीन अधिकारी :– अनूपसिंह

R.A.S.

दामोदरलाल पुत्र जगन जाति खाती (जांगिड) निवासी घौंसला तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ———————————————— सायल

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र जुल्मीराम जाति गुर्जर निवासी खेडली गुर्जर तहसील हिण्डौन जिला करौली
2. राजेन्द्र प्रसाद | पिसरान रामखिलाडी जाति खाती (जांगिड) निवासी घौंसला
3. हरि | तहसील हिण्डौन जिला करौली———————— गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री मदनमोहन शर्मा एडवोकेट सायल

2. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट गैरसायल सं. 1

निर्णय

दिनांक :– 9-5-2022

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायल ने उपरोक्त [दी]वानी दावा बाबत् भूमि विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा गैरसायलान व दावे के शेष सभी प्रतिवादीगण के विरूद्ध ठोस व मजबूत आधारों पर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है, जिसमें सायल को सफलता मिलने की पूरी–पूरी सम्भावना है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि खाता संख्या 403 के हाल खसरा नम्बर 1999 रकबा 0.23 है0, 2000 रकबा 0.37 है0, 2042 रकबा 0.19 है0, 2044 रकबा 0.75 है0, 2046 रकबा 0.19 है0, 2048 [illegible] 0.26 है0, 2053 रकबा 0.05 है0, 2125 रकबा 0.23 है0, 2126 रकबा 0.1[illegible] है0, 2[illegible] रकबा 0.57 है0, 2128 रकबा 0.33 है0, 2129 रकबा 0.31 है0, [illegible] 0.36 है0, 2131 रकबा 0.17 है0, 2266/2694 रकबा 0.30 है0, कुल किता 15 कुल रकबा 4.29 है0 वाके ग्राम घौंसला तहसील हिण्डौन स्थित है। उक्त आराजीयात सायल व गैरसायलान व दावे के अन्य प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की भूमि है। दावे के

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.23 11:30:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी नं016 के पति व 17 ता 21 के पिता दीनदयाल का स्वर्गवास हो गया है तथा दावे के प्रतिवादी नं0 16 लगायत 21 मृतक दीनदयाल के जायज कानूनी वारिस हैं जो उसके तर्के पर काबिज हैं। उक्त आराजीयात में सायल का 1/6 हिस्सा हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सं0 2073–76 में दर्ज है तथा गैरसायल नं01 रामस्वरूप का 25/426 हिस्सा तथा गैरसायल नं02 व 3 का 23/426 – 3/426 हिस्सा है तथा दावे के प्रतिवादी नं0 4 लगायत 9 का प्रत्येक का /96–1/96 हिस्सा है तथा दावे के प्रतिवादी न0 16 ता 21 का संयुक्त रूप 1/32 हिस्सा, दावे के प्रतिवादी नं022 का 1/6 हिस्सा व दावे के प्रतिवादी 023 का 1/32 हिस्सा हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सं0 2073–76 में दर्ज है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिका द नं02 प्रार्थना पत्र सायल व गैरसायलान व दावे के अन्य प्रतिवादीगण की युक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात है, उक्त भूमि का सायल व रसायलान व दावे के अन्य प्रतिवादीगण ने मौके पर बाहमी बंटवारा कर रखा है किन विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। सायल व गैरसायलान व दावे के अन्य तिवादीगण मुताविक बाहमी बंटवारा ही उक्त आराजीयात को काश्त कर लगान रकारी अदा करते चले आ रहे हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि बाका दिनांक 27.06.21 सुबह 9 बजे का है कि गैरसायल नं01 ता 3 सायल की बाहमी बंटवारे व योग उपभोग की भूमि को देख रहे थे तो सायल ने कहा कि तुम यहाँ क्या रहे हो तब गैरसायल नं01 ता 3 ने कहा कि हम इस भूमि को विक्रय करेंगे ा तुम्हारी मुताविक बाहमी बंटवारें की भूमि पर कब्जा करवायेंगे। तब सायल ने ा कि भाई उक्त भूमि का हम सभी सहखातेदार काश्तकार तहसील में चलकर वारा करवा लेते हैं तथा बंटवारा कराने के पश्चात आप अपने हिस्से किसी को भी विक्रय कर देना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तब गैरसायल ायत 3 ने कहा कि हमारा प्रत्येक भूमि में हिस्सा है तथा हम हमारे हिस्से को को विक्रय करेंगे तथा तेरे बाहमी बंटवारे की भूमि पर कब्जा करायेंगे। तब ल ने गैरसायल सं01 ता 3 से काफी अनुनय विक्रय किया कि आप बिना

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Sir
Date: 2022.06.23 11:30:45 IS
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

धिवत बंटवारा कराये उक्त भूमि को किसी दीगर व्यक्ति को विक्रय मत करो था बंटवारा होने के पश्चात ही विक्रय करना, लेकिन गैरसायल नं01 ता 3 ने यल की एक भी नहीं सुनी तथा विक्रय करने की धमकी दी। इसलिए सायल यह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि गैरसायलान नं01 ता 3 अपने हिस्से की आराजीयात को बिना विधिवत बंटवारा कराये किसी दीगर क्ति को रहन बय कर दी तथा सायल की बांहमी बंटवारे की भूमि पर कब्जा र लिया तो सायल के बाल बच्चे भूखे मर जावेंगे, सायल को गांव छोडकर कलना पडेगा । पक्षकारान में मुकदमेबाजी बढेगी, जिससे सायल को अपूर्तनीय ति होगी, जिसकी पूर्ति दृव्य में भी सम्भव नहीं है इसलिए गैरसायल नं01 ता 3 जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना कानूनन आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि गैरसायलान को दौराने वा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द नहीं फरमाया गया तो गैरसायलान अपने त गैरकानूनी मंसूबों में कामयाब हो जावेगें, जिससे सायल का दावा पेश करने मकसद ही फौत हो जावेगा एवं भारी हकतलफी होगी। गैरसायलान को न्द किये जाने से उसे किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि सायल के पक्ष में प्रथम ष्या केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू बखूबी रूप से बित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि र्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को दौराने [illegible] ा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से इस प्रकार पाबन्द फरमाया [illegible] कि [illegible] राजीयात मुतजिका मद नं02 प्रार्थना पत्र में सायल के [illegible] बाहमी बंटवारे की 1/6 हिस्से की भूमि के कब्जे [illegible] में ा मजाहमत न तो स्वंय पैदा करें न ही किसी अन्य से करावें तथा [illegible] को न्ति पूर्वक काश्त करने देवें, सायल को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करें ना ही सी अन्य से करावें, बिना विधिवत विभाजन कराये उक्त आराजीयात को किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Sin
Date: 2022.06.23 11:30:45 IS
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

दीगर व्यक्तियों को रहन–वय व ट्रांसफर नहीं करें, गैरसायलान ऐसा कोई कृत्य नहीं करें, ना करावें जिससे सायल के हक, हकूकों पर कोई विपरीत प्रभाव पडे। रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 13.04.2022 को गैरसायल सं.2,3 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। गैरसायल सं01बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि सायलान द्वारा दावा हाजा प्रस्तुत करना स्वीकार है लेकिन सायलान की ओर से उक्त वाद एकदम गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं02 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है। विवादग्रस्त आराजीयात में सायल का गैरसायल के हिस्से से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है। खुलासा विशेष विवरण में दर्ज है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं03 गलत है, अस्वीकार है। विवादग्रस्त आराजीयात सायलान का गैरसायलान की संयुक्त कब्जे काश्त की आराजीयात नहीं होकर आराजीयात का मौके पर सायल एवं समस्त खातेदारान के मध्य 50 सों साल से बाहमी बंटवारा हो रखा है एवं मौके उसी अनुसार सायल एवं गैरसायलान काबिज एवं दखील हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं04 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है। इस मद में वर्णित का दिनांक 27.06.2021 सायल द्वारा एकदम गलत मनगढन्त एवं कपोल कल्पित अंकित करवाया है, जिसमें लेशमात्र भी सत्यता नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं05,6,7, गलत हैं, अस्वीकार है।

विशेष विवरण :– जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि आराजीयात विवादग्रस्त वर्णित मद नं02 प्रार्थना पत्र में गैरसायल सं01 द्वारा गैरसायल सं02

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.23 11:30:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

ाजेन्द्र के 23/426 हिस्से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.06.2021 को ब्ररीद कर वैधानिक रूप से कब्जा प्राप्त किया है। इस प्रकार वर्तमान में वेवादग्रस्त आराजीयात में गैरसायल राजेन्द्र के 23/426 हिस्से पर राजेन्द्र का कोई कब्जा काश्त नहीं है। जिसकी सायल को भली प्रकार जानकारी है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि मौके पर सायल एवं गैरसायलान का कोई विवाद नहीं है। सायल ने गैरसायलान को हैरान परेशान करने की गरज से उक्त वाद मय प्रार्थना पत्र हाजा एकदम गलत तथ्यों के आधार र प्रस्तुत किया है, जबकि वैधानिक रूप से उक्त प्रकरण में गैरसायलान रिकोर्डेड ब्रातेदार काश्तकार है। इसलिए उक्त प्रकरण में गैरसायलान को वैधानिक रूप से ाबन्द फरमाया जाना सम्भव नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील सायल ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति जमाबन्दी सं0 2073 –76 पेश की है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। कील सायल ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायल का ार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील ारसायल सं01 ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायल ा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। सायल की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो ाति जमाबन्दी सं0 2073 –76 के अनुसार विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 999 रकबा 0.23 है0, 2000 रकबा 0.37 है0, 2042 रकबा 0.19 है0, 2044 रकबा .75 है0, 2046 रकबा 0.19 है0, 2048 रकबा 0.26 है0, 2053 [illegible] है0, 125 रकबा 0.23 है0, 2126 रकबा 0.18 है0, 2127 [illegible] .33 है0, 2129 रकबा 0.31 है0, 2130 रकबा 0.16 है0, 2131 रकबा 0.17 है0, 266/2694 रकबा 0.30 है0, कुल किता 15 कुल रकबा 4.29 है0 वाके ग्राम ौंसला तहसील हिण्डौन की खातेदारी आशा पुत्री रमेश हि01/96 जाति खाती

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.23 11:30:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

सा0देह खातेदार, कमल पुत्र रामजीलाल हि01/16 जाति खाती सा0देह खातेदार राहिन हि01/16 पूर्ण खाता बैंक ऑफ बडौदा शाखा महूइब्राहिमपुर, कमलेश पुत्री रामजीलाल हि01/16 जाति खाती सा0देह खातेदार, कैलाश पुत्र रमेश हि01/96 जाति खाती सा0देह खातेदार, केशन्ती पत्नि हरमन हिस्सा 1/32 जाति गुर्जर सा0 खेडली गुर्जर खातेदार, गंगासहाय पुत्र रामजीलाल हि01/16 जाति खाती सा0देह खातेदार, गीता पत्नि रमेश हि01/96 जाति खाती सा0देह खातेदार, दुलारी पुत्री रामजीलाल हि01/16 जाति खाती सा0देह खातेदार, दामोदर पुत्र जगन हि01/6 जाति खाती सा0देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/6 पूर्ण खाता बैंक ऑफ बडौदा शाखा महूइब्राहिमपुर , दीनदयाल पुत्र रामजीलाल हि01/32 जाति खाती सा0देह खातेदार, बृजेश पुत्र रमेश हि01/96 जाति खाती सा0देह खातेदार, गौरा पुत्री रामजीलाल हि01/16 जाति खाती सा0देह खातेदार, राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामखिलाडी हि0 23/426 जाति जांगिड सा0देह खातेदार, रामभरोसी पुत्र जगन हि01/6 जाति खाती सा0देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/6 पूर्ण खाता बैंक ऑफ बडौदा शाखा महूइब्राहिमपुर, रामस्वरूप पुत्र जुल्मीराम हि0 25/426 जाति गुर्जर सा.खेडलीगूजर खातेदार,विष्णु पुत्र रमेश हि01/96 जाति खाती सा0देह खातेदार, सन्तोष पुत्री रमेश हि01/96 जाति खाती सा0देह खातेदार, सूरज पुत्री रामजीलाल हि01/16 जाति खाती सा0देह खातेदार, हरि पुत्र रामखिलाडी हि0 23/426 जाति जांगिड सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1999 रकबा 0.23 है0, 2000 रकबा 0.37 है0, 2042 रकबा 0.19 है0, 2044 रकबा 0.75 है0, 2046 रकबा 0.19 है0, 2048 रकबा 0.26 है0, 2053 रकबा 0.05 है0, 2125 रकबा 0.23 है0, 2126 रकबा 0.18 है0, 2127 रकबा 0.57 है0, 2128 रकबा 0.33 है0, 2129 रकबा 0.31 है0, 2130 रकबा 0.16 है0, 2131 रकबा 0.17 है0, 2266/2694 रकबा 0.30 है0, कुल किता 15 कुल रकबा 4.29 है0 ग्राम घौंसला तहसील हिण्डौन में सायल हिस्सा 1/6 एवं गैरसायल सं01 हिस्सा 23/426 भाग का, गैरसायल सं02 हिस्सा 23/426 भाग का, गैरसायल सं0 3 हिस्सा 23/426 भाग का रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं और संयुक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.23 11:30:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

तेदारी की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच भू–भाग पर कब्जा काश्त ना जाता है जब तक कि उन सहखातेदारों के मध्य विधिवत रूप से बंटवारा कर पृथक पृथक खाता व लगान कायम नहीं हो जावे। ऐसी स्थिति में रिकोर्डेड हखातेदार को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं । इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस सायल के पक्ष में साबित नहीं होता है और ना सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायल के पक्ष में नजर आता । बल्कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से फैंसला दावा पाबन्द किये ाने पर गैरसायलान जो कि विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड सहखातेदार ाश्तकार हैं के कब्जा काश्त पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत ती है। इस प्रकार पृथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति बिन्दूं गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। ऐसे हालात में सायल का र्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान वादित आराजीयात खसरा नम्बर 1999 रकबा 0.23 है0, 2000 रकबा 0.37 है0, 042 रकबा 0.19 है0, 2044 रकबा 0.75 है0, 2046 रकबा 0.19 है0, 2048 रकबा .26 है0, 2053 रकबा 0.05 है0, 2125 रकबा 0.23 है0, 2126 रकबा 0.18 है0, 127 रकबा 0.57 है0, 2128 रकबा 0.33 है0, 2129 रकबा 0.31 है0, 2130 रकबा .16 है0, 2131 रकबा 0.17 है0, 2266/2694 रकबा 0.30 है0, कुल किता 15 ुल रकबा 4.29 है0 वाके ग्राम घौंसला तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है था उक्त प्रकरण में दिनांक 09.07.2021 को जारी अन्तिरिम स्थगन आदेश विद्‌ड्रो कये जाते हैं। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की ाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 9-5-2022 को लिखाया जाकर खुले ्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.23 11:30:45 IST
Reason: SelfAttested

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)